Sl. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–25/2017
अंचल अधिकारी, झाझा – आवेदक

बनाम

3/7/18

खगिया देवी, जौ0–भुटाय गोप — विपक्षी प्रथम पक्ष
बलिया देवी, जौ0–रानो यादव, — विपक्षी द्वितीय पक्ष
बिमल यादव, पिता श्री भरत यादव — इन्टरभेनर
साकिन–छापा, थाना–झाझा, जिला–जमुई।

आदेश

अंचल अधिकारी, झाझा ने अपने पत्रांक–710 दिनांक–30.11.2017 के द्वारा मौजा–हरंजा, थाना सं0–03/45 जमाबन्दी संख्या–60 को बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के, बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन किये पंजी–2 में विपक्षी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के मेल में लाकर राजस्व कर्मचारी द्वारा वर्ष 2006 में, खोल दिया गया है। जिसे रद्द करने हेतु यह वाद लाया गया है।

आवेदक के अनुसार जमाबन्दी में निहित भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

अंचल का नाम	मौजा/ थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4	5	6
झाझा	हरंजा, 3/45	48	490 (आवेदक के अनुसार) 493 (विपक्षी के अनुसार)	5.32	60
कुल रकवा				5.32 एकड़	

समीक्षोंपरान्त 'वाद' की अंगीकृत किया गया। अंचल अधिकारी, झाझा की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि खगिया देवी की मृत्यु हो गई है। अतएव उनके पौत्र (पोता) मुन्नी यादव, ब्रहम्देव यादव एवं मोहन यादव पुत्र प्रसादी यादव, पुत्र प्रसादी यादव सभी– पौत्र (पोता) खगिया देवी के विपक्षी प्रथम पक्ष तथा गेनो यादव एवं जागो यादव पुत्र बहादुर यादव सभी पौत्र (पोता) खगिया देवी को विपक्षी द्वितीय पक्ष के रूप में Substitute किया जाए। तद्नुसार substitution की स्वीकृत की गई।

अंचल अधिकारी का कहना है कि ग्राम हरंजा अन्तर्गत जमाबन्दी संख्या–60 में रैयती खाते के भूमि निहित थी। जमाबन्दी संख्या–60 अगहन डोम पे0–धिगर डोम, के नाम कायम थी। जिसमें खाता संख्या–12, खेसरा सं0–473 एवं

A Home Jud

469, कुल रकवा–1.02 एकड़ भूमि दर्ज है। पंजी–2 के रिर्माक कॉलम में 'नागी–डैम" के निर्माण होने के क्रम में डैम निर्माण दर्ज है ।

आवेदक का यह भी कहना है कि समयोंपरान्त जमाबन्दी संख्या–60 से संबंधित पंजी–2 का पन्ना कर्मचारी द्वारा मेल में आकर बदल दिया गया है। नये पन्ने में जमाबन्दी की संख्या–60 ही रखा गया है। मगर जमाबन्दी रैयत अगहम डोम, पे0–घिंगर डोम के जगह जमाबन्दी रैयत का नाम खगिया देवी जौ0–भुटाय गोप तथा खाता संख्या–12 के जगह बदले नये पन्ने में खाता संख्या–48 एवं खेसरा संख्या–खेसरा संख्या–473 एवं 469 रकवा–1.02 एकड़ को बदल कर खेसरा संख्या–490, रकवा–5.32 एकड़ दर्ज कर दिया गया है। ऐसा करने के उद्देश्य के संबंध में आवेदक का कहना है कि वास्तव में खाता संख्या–48 गैरमजरूआ खाते की भूमि है। इस खाते में निहित खेसरा संख्या–490 सरकारी–भूमि को फर्जी कागजातों के आधार पर हड़पने के उद्देश्य से विपक्षीगण के द्वारा यह कार्य किया गया है।

अंचल अधिकारी, झाझा का कहना है कि जमाबन्दी संख्या–60 पर 1956–57 से वर्ष 2005–06 तक एक ही वार पहली वार वर्ष 2005–06 में लगान रसीद कर्मचारी द्वारा निर्गत है। जो इस बात की ओर अंकित करता है कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा वर्ष 2006 में पहली वार बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश से जमाबन्दी सं0–60 पर विपक्षी का नाम जोड़कर प्रथम रसीद निर्गत कर दिया है। अतएव जमाबन्दी संख्या–60 रद्द होने योग्य है।

विपक्षी प्रथम पक्ष खगिया देवी वगैरह का कहना है कि अंचल अधिकारी, झाझा ने जमाबन्दी संख्या–60 के बारे में गलत प्रतिवेदन किया है। खगिया देवी का खेसरा संख्या–490 से कोई लेना–देना नहीं है।

खगिया देवी वगैरह के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जमाबन्दी संख्या–60 में खाता संख्या–48 के खेसरा संख्या–493 सन्निहित था जो उन्हें हुकुमनामा–बन्दोवस्ती से प्राप्त है। पंजी–2 में कर्मचारी ने विपक्षी इन्टरभेनर विमल यादव के मेल में आकर उनकी जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से चल रहे जमाबन्दी संख्या–60 में हेरा–फेरी कर खाता संख्या–12, रैयत अगहन डोम का नाम दर्ज कर दिया था।

विपक्षीगण का यह भी कहना है कि मात्र अंचल अधिकारी, झाझा के प्रतिवेदन के आधार पर उनकी जमाबन्दी रद्द नहीं की जा सकती है।

विपक्षीगण के अनुसार खेसरा संख्या–493 नागी–डैम में नहीं गया है अपितु उनके दखल कब्जें तथा जोत–आबाद में है। वर्ष 2016–17 तक उनके पक्ष में लगान रसीद भी निर्गत है।

विपक्षीगण का कहना है कि अगर जमाबन्दी संख्या–60 अगहन डोम के नाम होता तो निश्चित रूप से अगहन डोम द्वारा आपत्ति की जाती। मगर अब तक अगहन डोम के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है, जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जमाबन्दी संख्या–60 से उनका कोई लेना–देना नहीं है।

उक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षीगण के द्वारा जमाबन्दी रद्दीकरण आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षीगण के द्वारा प्रश्नगत

A Home Jud

जमाबन्दी सृजन के संबंध में दावा किया गया कि खाता 48 की खेसरा 493 की भूमि खगिया देवी एवं बलिया देवी को हुकुमनामा से जमींदार द्वारा प्राप्त है। मगर साक्ष्य के रूप में न तो हुकुमनामा दाखिल किया गया और न जमींदार के द्वारा निर्गत एक भी रसीद इस न्यायालय में दाखिल की गई है। हुकुमनामा किस जमींदार के द्वारा तथा किस तिथि को निर्गत है यह तथ्य भी विपक्षीगण के द्वारा नहीं बताया गया। अपने कथन के पक्ष में विपक्षीगण के द्वारा कोई रिर्टन या कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया।

विपक्षीगण के इस दावे को स्वीकार भी कर लिया जाय कि उनकी जमाबन्दी संख्या–60 में राजस्व कर्मचारी ने बिमल यादव इन्टरभेंनर के मेल में आकर पंजी–2 पर अगहन डोम का नाम तथा खाता संख्या–48 के जगह खाता संख्या–12 दर्ज कर दिया है तो भी विपक्षीगण यह नहीं बता पाये कि जमाबन्दी रैयत अगहन डोम तथा खाता संख्या–12 से जमाबन्दी सं0–60 पर से खगिया देवी एवं बलिया देवी का नाम तथा खाता संख्या–48 किस प्राधिकार के आदेश तथा किस वाद संख्या पुनः पंजी–2 में दर्ज की गई हुआ।

जमाबन्दी संख्या–60 पंजी–2 में विपक्षीगण का पुनः नाम दर्ज होने संबंधित कोई आदेश अगर नहीं प्राप्त है तो माना जायेगा कि जमाबन्दी संख्या–60 में खगिया एवं बलिया देवी का नाम दर्ज तथा खाता संख्या–48 बिना वैधानिक प्रकिया की पालन करते हुये दर्ज किया गया है।

विपक्षी के दावा को स्वीकार करते हुए जमाबन्दी संख्या–60, खाता संख्या–48 में खेसरा संख्या–493 की स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी विपक्षी अपने दावा के पक्ष में कोई दस्तावेज या कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किये जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत जमाबन्दी संख्या–60 में निहित भूमि उन्हें वैधानिक तरीके से तथा वैध कागजात से प्राप्त है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2006 में प्रथम वार राजस्व कर्मचारी ने बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के गैरमजरूआ मालिक भूमि का अपने स्तर से लगान लगाते हुए विपक्षीगण के पक्ष में वर्ष 1955–56 से 2006 तक का रसीद निर्गत कर दिया है। वैधानिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है।

अतएव आवेदक के जमाबन्दी रद्दीकरण के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, झाझा को निदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी संख्या–60 तथा उसमें सन्निहित खेसरा सं0–490 (आवेदक के अनुसार) या 493 (विपक्षी के अनुसार) को विलोपित करें। गैरमजरूआ लगान लगाने/जमाबन्दी कायम करने का कोई भी आधार विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया। अतएव विपक्षीगण के पक्ष में कायम जमाबन्दी संख्या–60, को विलोपित करें। इस आदेश से आवेदन पत्र में विपक्षी के जमाबन्दी के संबंध में उठाये गये बिन्दु मात्र को स्वीकृत किया जाता है। आवेदक के जमाबन्दी सृजन/सम्पुष्टि के संदर्भ के आदेश प्रभावी नहीं है।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, झाझा को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई। 3/7/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

A Home Jud

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 741 /रा0, दिनांक– 03.07.2018

प्रतिलिपि–विपक्षी/अंचल अधिकारी, झाझा/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/7/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

A Home Jud